# MJC No. 39/2024

**नान्हीबाई वगैरह विरूद्ध होरीलाल वगैरह**

06.08.2026 आवेदकगण/अपीलार्थीगण द्वारा श्री रोहित चौरसिया अधिवक्ता।

अनावेदकगण/उत्तरवादीगण क्र. 1 व 2 द्वारा श्री नरेंद्र लाउत्रे अधिवक्ता।

अनावेदक/उत्तरवादी क्र. 3 एकपक्षीय।

प्रकरण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम पर तर्क हेतु नियत है।

उभयपक्ष को धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन पत्र पर सुना गया।

इस आदेश द्वारा आवेदकगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदन संक्षेप में यह है कि न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड परासिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश परासिया, जिला छिन्दवाड़ा द्वारा व्यवहार वाद प्र0क्र0 57ए/2016 में घोषित निर्णय दिनांक 20.01.2024 से व्यथित होकर उक्त अपील 160 दिवस के विलंब से प्रस्तुत की गयी है। आवेदकगण की पूर्व अधिवक्ता द्वारा घोषित निर्णय की जानकारी आवेदकगण को नहीं दी गयी और न ही बताया गया कि उक्त व्यवहार वाद में निर्णय घोषित किया जा चुका है। आवेदकगण व्यवहार वाद में घोषित निर्णय से पूर्णतः अनभिज्ञ रहे है। आवेदकगण को जब थाना देहात जिला छिन्दवाड़ा द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 22.06.2024 को प्राप्त हुआ तब उनके द्वारा अपने अधिवक्ता से दिनांक 24.06.2024 को संपर्क किये जाने पर उन्हें प्रकरण में घोषित निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई। दिनांक 09.07.2024 को निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र नकल प्रतिलिपिकार छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसकी सत्यप्रतिलिपि दिनांक 13.07.2024 को प्राप्त हुई। आवेदकगण ने अपने आवेदन में यह भी लेख किया है कि अपीलार्थी नान्हीबाई एक विधवा महिला होकर कम पढ़ी लिखी महिला है। वह अक्सर बीमार रहती है जिसका ईलाज निरंतर जारी है। उसकी आंखों में बीमारी होने से उसकी आंखों का ईलाज भी जारी है। प्रकरण के अन्य अपीलार्थीगण अपने परिवार का पालन पोषण हेतु मजदूरी कार्य करने हेतु कई दिवस तक बाहर भी निवासरत रहते है। आवेदकगण द्वारा अपील विलंब से प्रस्तुत

करने का कारण सद्भाविक है। आवेदकगण विधि में वर्णित प्रावधानों से अनभिज्ञ है जिसका उन्हें ज्ञान नहीं है। यदि आवेदकगण का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी और वे न्याय से वंचित हो जावेंगे। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुये विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया है।

उत्तरवादी क्र. 1 व 2 की ओर से आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि आवेदकगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष वादी राजेश, सोनू एवं बबीता उपस्थित होते रहे है और उनकी ओर से अधिवक्ता श्री श्याम साहू पैरवी करते रहे है। उक्त प्रकरण के प्रत्येक क्रम की और घोषित निर्णय दिनांक 20.01.2024 की जानकारी आवेदकगण को भलीभांति रही है। उनकी ओर से जानबूझकर तथाकथित अपील में संदाय योग्य अधिकतम निर्धारित न्यायालय शुल्क की अदायगी से बचने हेतु निर्धारित विहित समयावधि में तथाकथित अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है। आवेदकगण द्वारा जानबूझकर तथाकथित अपील सम्यक रूप से तत्परतापूर्वक प्रस्तुत नहीं की गयी है। उनके द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अनावश्यक एवं असद्भावी विलंब कारित किया गया है जो माफी योग्य नहीं है। आवेदक क्र. 1 श्रीमती नान्हीबाई व्यवहार वाद के गतिशील रहने के दौरान कभी भी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं रही है और न ही वह बीमार महिला है। नान्हीबाई के आंखों का ईलाज जारी होने हैसे कथन सर्वथा असत्य है। आवेदकगण मजदूरी का कार्य करने हेतु कभी भी बाहर जाकर निवासरत नहीं रहे है। वे मजदूरी का कार्य नहीं करते है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत विलंब माफी आवेदन के संबंध में न्यायालय द्वारा यह अवधारणा की जाना है कि एक पक्षकार को अनुचित सहुलियत नहीं दी जाये और अन्य पक्षकार का अहित नहीं हो। धारा 5 परिसीमा अधिनियम के उपबंध का उद्देश्य जिस पक्षकार के पक्ष में विनिश्चत हो चुका हो उसे उसके अंतिमता का अहसास होना चाहिए। धारा 5 परिसीमा अधिनियम की प्रकृति वैवेकीय है–पक्षकार विलंब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है, पर्याप्त कारण का सबूत दिया जाना अपेक्षित है। धारा 5 परिसीमा अधिनियम न्यायालय में निहित वैवेकीय अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है। न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता है। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत विलंब माफी आवेदन

असद्भावी होने के कारण तथा विधि विपरीत एवं सारहीन होने से सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।

इस सबंध में परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 के अनुसार ऐसे डिक्री या आदेश के विरूद्ध निर्णय दिनांक के 30 दिवस के भीतर अपील की जानी चाहिये। परन्तु उक्त अपील 160 दिन के विलंब से दिनांक 09.07.2024 को पेश की गयी है। आवेदकगण ने विलंब का कारण यह लेख किया है कि आवेदकगण के पूर्व अधिवक्ता द्वारा घोषित निर्णय की जानकारी उन्हें नहीं दी गयी। आवेदकगण व्यवहार वाद में घोषित निर्णय से पूर्णतः अनभिज्ञ रहे है। आवेदकगण को जब थाना देहात जिला छिन्दवाड़ा द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 22.6.2024 को प्राप्त हुआ तब उनके द्वारा अपने अधिवक्ता से दिनांक 24.06.2024 को संपर्क किये जाने पर उन्हें प्रकरण में घोषित निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई तथा अपीलार्थी नान्हीबाई एक विधवा महिला होकर कम पढ़ी लिखी महिला है। वह अक्सर बीमार रहती है जिसका ईलाज निरंतर जारी है, उसकी आंखों का ईलाज भी जारी है। अपीलार्थीगण की ओर से अपीलार्थी नान्हीबाई के ईलाज से संबंधित दस्तावेज की छायाप्रतियां भी प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार नान्हीबाई का दिनांक 06.04.2024 को बालाजी मल्टी हास्पीटल छिन्दवाड़ा में एवं दिनांक 18.04.2024 को डॉ. एन.आर. ढकरिया छिन्दवाड़ा के पास ईलाज करवाया गया है तथा उक्त दिनांक को ही नर्मदा डायग्नोसिस एण्ड सोनोग्राफी सेंटर छिन्दवाड़ा में सोनोग्राफी करवायी गयी है तथा दिनांक 31.10.2023 को लॉयंस आई हास्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर परासिया में अपीलार्थी नान्हीबाई की ऑखों का ईलाज करवाया गया है। अपीलार्थीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित हो कि अपीलार्थी नान्हीबाई का विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण लंबित रहने के दौरान अथवा प्रकरण के निराकरण के पश्चात उसे किसी गंभीर बीमारी के चलते भरती रहकर उसका ईलाज करवाया गया हो। साथ ही अन्य अपीलार्थीगण के बाहर रहकर मजदूरी करने के संबंध में भी कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थीगण की ओर से अपील विलंब प्रस्तुत करने के संबंध में अपीलार्थी नान्हीबाई की बीमारी का जो आधार लिया गया है, वह सद्भाविक प्रतीत नहीं होता है।

जहां तक आवेदकगण के पूर्व अधिवक्ता द्वारा घ

ोषित निर्णय की जानकारी उन्हें नहीं दिये जाने एवं आवेदकगण के व्यवहार वाद में घोषित निर्णय से पूर्णतः अनभिज्ञ रहने का प्रश्न है, इस संबंध में विलंब को माफ करने का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है कि, अधिवक्ता के द्वारा उसे वाद में निर्णय घोषित किये जाने की जानकारी आवेदकगण को नहीं दी गयी। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद, आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसकी पूर्ण जानकारी उन्हें रही है। यदि उनके पूर्व अधिवक्ता द्वारा उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय घोषित किये जाने की जानकारी नहीं दी गयी थी, तब वे किसी अन्य अधिवक्ता के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते थे।

आवेदकगण द्वारा थाना देहात जिला छिन्दवाड़ा से दिनांक 22.06.2024 को नोटिस प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 24.06.2024 को अधिवक्ता से संपर्क किये जाने पर निर्णय की जानकारी होना बताया गया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदकगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने के संबंध में दिन प्रतिदिन किस कारण से विलंब हुआ इस संबंध में अपने आवेदन में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसी प्रकार अपीलार्थीगण की ओर से इस संबंध में भी कोई स्पष्ट कारण दर्शित नहीं किया है कि विचारण न्यायालय के प्रकरण के निराकरण के पश्चात अपने अधिवक्ता से उन्होंने मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रयास किया था। अपीलार्थीगण की ओर से अपने मामले की जानकारी प्राप्त करने हेतु निरंतर अधिवक्ता से संपर्क किये जाने हेतु किसी भी प्रकार से स्पष्ट मौखिक अथवा अन्य संवाद स्थापित किये जाने के संबंध में कोई आधार प्रकट नहीं किये है। इस प्रकार अपीलार्थीगण की ओर से मामले की जानकारी अधिवक्ता द्वारा प्रदाय न किये जाने के संबंध में जो आधार लिये गये है, वह सद्भाविक होना प्रतीत नहीं होते है। इसी प्रकार अपीलार्थीगण की ओर से विचारण न्यायालय के निर्णय की जानकारी उन्हें न होने के संबंध में जो कारण दर्शित किये गये है, वह भी सद्भाविक होना प्रकट नहीं होते है। अपीलार्थीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपने मामले में निरंतर उपस्थित होकर कार्यवाही में भाग लिया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय के निर्णय की जानकारी प्राप्त किये जाने के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से कोई समुचित एवं संतोषजनक कारण दर्शित नहीं किये गये है। अपीलार्थीगण की ओर से करीब 160 दिन के उपरांत उक्त अपील संस्थित की गयी है।

अपीलार्थीगण की ओर से अत्यधिक विलंब से अपील प्रस्तुत की गयी है तथा विलंब से अपील प्रस्तुत किये जाने के संबंध में दिन–प्रतिदिन के विलंब के संबंध में भी कोई आधार दर्शित नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को विचारण न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने के संबंध में भी परिस्थिति दर्शित होती है। अपीलार्थीगण की ओर से अपने मामले की जानकारी लेने हेतु कोई तत्परता नहीं बरती है जिससे भी दर्शित होता है कि अपीलार्थीगण स्वयं अपने मामले के प्रति उदासीन रहे है। इस प्रकार अपीलार्थीगण की ओर से विलंब से अपील प्रस्तुत किये जाने के जो कारण दर्शाये है वह समुचित नहीं है।

इस संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम में यह उपबंधित है कि ''कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा, यदि अपीलार्थी या आवेदक, न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।''

इस प्रकार आवेदकगण/अपीलार्थीगण की ओर से धारा 5 परिसीमा अधिनियम के उपबंध अनुसार अपील विलंब से प्रस्तुत किये जाने का कोई सद्भाविक कारण अभिलेख पर दर्शित नहीं किया गया है। अतः आवेदकगण की ओर से अपील विंलब से प्रस्तुत करने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

प्रकरण समाप्त। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर समयावधि में अभिलेखागार जमा किया जावे।

(गौतम कुमार गुजरे)
जिला न्यायाधीश परासिया
जिला छिंदवाड़ा(म.प्र.)

GAUTAM KUMAR GUJRE

Digitally signed by GAUTAM KUMAR GUJRE
Date: 2026.08.06 17:34:02 +0530